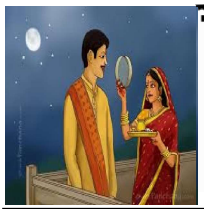

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :46 अंक 87 रविवार 20 अक्टूबर 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

महेन्द्रनाथ पाण्डेय बनाए गए भाजपा यूपी चुनाव अधिकारी

लखनऊ (आभा)। प्रदेश भाजपा और जिलों में नए अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब यूपी में भी प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डा. महेंद्रनाथ पांडेय को प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ छह सह चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसमें सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों से एक–एक नाम को शामिल किया गया है। चुनाव अधिकारियों की टीम घोषित करने में सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है।

भाजपा के सदस्यता अभियान के साथ ही अब संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया भी तेज हो चली है। प्रदेश संगठन द्वारा सुझाए गए नामों में से राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण ने शनिवार को प्रदेश के चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारियों की सूची जारी कर दी। प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव कराने का जिम्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. महेंद्रनाथ पांडेय को सौंपा गया है। उनके साथ पश्चिम के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश कुमार सिंह, बृज क्षेत्र से मैनपुरी के जिला प्रभारी अनिल चौधरी, कानपुर–बुंदेलखंड क्षेत्र से फतेहपुर की जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय, अवध के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकुट बिहारी वर्मा, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कमलेश कुमार और गोरक्ष क्षेत्र से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राजेंद्र तिवारी को सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है।

बैंक में सेंधमारी के मामले में मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। महराजगंज कस्बे में बड़ौदा यूपी बैंक में हुई सेंधमारी के मामले में कप्तानगंज पुलिस ने बैंक के कैशियर की तहरीर पर पकड़े गए चोर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज दीपक दुबे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई चल रही है।

शुक्रवार की देर रात कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में स्थित बडौदा यूपी बैंक में एक संदिग्धा दिवस लोहे की खिड़की काटकर घुस गया था जिसे घुसते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस के गार्ड ने देख लिया था वह हल्ला करने के बाद चोरी करने के नियत से घुसा युवक बैंक में ही छिप गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस और कस्बा वासियों ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था पुलिस ने मामले की सूचना बैंक के जिम्मेदारों को दिए थी।

रात्रि 11.30 के करीब पहुंचे बैंक के जिम्मेदारों ने जब बैंक का ताला खोला तो पुलिस ने सघन तलाशी ली थी। इस दौरान बैंक के कोने में रैक के ऊपर कबाड़ के पास एक युवक बैठा दिखा था। जिसे पुलिस गिरफ्तार थाने ले गई थी। रात्रि में ही कप्तानगंज पुलिस ने बडौदा यूपी बैंक महाराजगंज शाखा के कैशियर राधेश्याम चौधरी की तहरीर पर बैंक में चोरी की नियत से घुसे चोर राम टोल पुत्र राम क्लप निवासी खेमराजपुर थाना हरैया जिला बस्ती के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई।

अश्लील वीडियो मामले में मुकदमा दर्ज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कलवारी थानाक्षेत्र की रहने वाली एक युवती संग जबरन शारीरिक शोषण कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। थानाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

जम्मू–कश्मीर फिर बनेगा पूर्ण राज्य, उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के प्रस्ताव को एल.जी. ने दिया मंजूरी

श्रीनगर (आभा)। गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया, जम्मू–कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करता है।

जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया, जम्मू–कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने

की मांग करता है।

अधिक विवरण दिए बिना, अधिकारियों ने पुष्टि की कि एलजी ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा, 'राज्य का दर्जा बहाल करना एक उपचार प्रक्रिया की शुरुआत होगी, संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और जम्मू–कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करना होगा।' कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति का आधार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आगामी दिनों में नयी दिल्ली जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने चार नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय भी लिया है और उपराज्यपाल से सत्र आहूत करने तथा उसे संबोधित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले सत्र के लिए विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया, जिसके बाद मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इस पर विचार किया जाएगा।

राजनीतिक दलों ने शुक्रवार को कहा था कि प्रस्ताव में केवल राज्य का दर्जा देने का जिक्र है जबकि अनुच्छेद 370 का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह आत्मसमर्पण और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख के विपरीत बताया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) और अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस कदम की निंदा की और नेशनल कांफ्रेंस को अनुच्छेद 370 बहाल कराने का उसका वादा याद दिलाया।

राजेन्द्रनाथ तिवारी को भाजपा प्रदेश सह चुनाव अधिकारी बनाये जाने पर प्रसन्नता

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

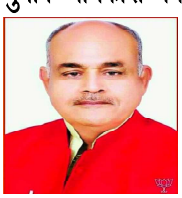

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी सांसद डा. के. लक्ष्मण ने जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेन्द्रनाथ तिवारी को प्रदेश का सह चुनाव अधिकारी नामित किया है। श्री तिवारी पार्टी के नीति, नियम के अनुरूप भाजपा के पदाधिकारियों के चयन में सह चुनाव अधिकारी का दायित्व निभायेंगे।

भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेन्द्रनाथ तिवारी को प्रदेश का सह चुनाव अधिकारी नामित किये जाने पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय, विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, दयाराम चौधरी, सी.ए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल, पूर्व महामंत्री, अजय सिंह गौतम, रविन्द्र गौतम, हमीर पाल, अमरनाथ सिंह के साथ ही पार्टी के अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा है कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी।

नि:शुल्क एंबुलेंस सेवा 108 और 102 बस्ती का क्वालिटी टीम ने किया औचक निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शुक्रवार और शनिवार को नि:शुल्क 108 एवं 102 एंबुलेंस सेवा बस्ती का स्टेट से आई क्वालिटी टीम ने देर रात और दोपहर में बस्ती जनपद में उपस्थित 108 एवं 102 एंबुलेंसों का निरीक्षण किया। ई.एम.आर.आई. ग्रीन हेल्थ सर्विसेज की स्टेट क्वालिटी टीम में क्वालिटी हेड विपिन शुक्ला, क्वालिटी मैनेजर आयुष कुमार तिवारी और अमित यादव ने अलग–अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर एम्बुलेंसों का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान एंबुलेंस में उपस्थित सभी उपकरण एवं उनकी उपयोगिता के संबंध में ईएमटी से जानकारी ली गई। दवाईयां की उपलब्धता चेक की गई। एंबुलेंस स्टॉफ की कार्यशैली की भी जांच की गई।

चेकिंग के दौरान ई.एम.टी और पायलट को एंबुलेंस की साफ सफाई,एंबुलेंस में उपलब्ध उपकरण के संचालन ,उपलब्ध दवाओं के उपयोग और प्राथमिक उपचार पर विशेष ध्यान दिया गया और रिस्पांस टाइम सही रखने के लिए भी विशेष ध्यान देने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया,जिससे जिले के सभी जरूरतमंद मरीज को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके, साथ ही साथ एंबुलेंस की सुविधा को और बेहतर बनाया जा सके। क्वालिटी हेड विपिन शुक्ला ने एंबुलेंस के रख रखाव मेडिकल उपकरणों व दवाइयों को जांच कर इनके इस्तेमाल की जानकारी एंबुलेंस पायलट तथा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियनो से ली तथा एंबुलेंस में सभी उपकरणों का सही समय पर इस्तेमाल करना,ऑक्सीजन देना और कम से कम समय मे मरीज को एंबुलेंस उपलब्ध कराना बताया, जिससे गंभीर मरीजों को समय से प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें सुचारु रूप से एक बेहतर सेवा के साथ अस्पताल मे भर्ती करने के लिए निर्देशित किया तथा समस्त एंबुलेंस चालकों को सेफ ड्राइविंग के संबंध में प्रोत्साहित किया। मौके पर 108 एंबुलेंस जिला के कार्यक्रम प्रबंधक राजन विश्वकर्मा, प्रभारी आशीष कुमार मिश्रा,राधेश्याम, आकाश कुमार एवं गुणवत्ता निरीक्षक अमित यादव मौजूद रहे।

प्रियंका त्रिपाठी को पी.एच.डी. उपाधि

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। शहर से सटे लबनापार निवासी केशरी नारायण त्रिपाठी की पुत्री प्रियंका त्रिपाठी को गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान विषय से ' गांधी दर्शन में आध्यात्मवादः समकालीन परिप्रेक्ष्य' में शोध की पी.एच.डी. उपाधि प्रदान की गई। प्रियंका त्रिपाठी ने अपना शोध कार्य प्रोफेसर अनिल कुमार के निर्देशन में पूर्ण किया। वे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना चाहती है।

प्रियंका त्रिपाठी अपनी सफलता का श्रेय माता, पिता, परिजन और गुरूजनों को देती है।

विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हर्रैया थाना क्षेत्र के खम्हरिया गंगाराम गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष चन्द्र ने उचित कार्यवाही के लिए पुलिस को तहरीर दी है।

शुक्रवार की रात में चोर विद्यालय के विज्ञान – गणित कक्ष के दरवाजे में नीचे लगा ताला तोड़कर दरवाजे के निचले भाग को फैलाकर घुस गए और कक्ष में रखा एक कुंतल गेहूं और एक कुंतल चावल उठा ले गए। जबकि ऊपर का ताला लगा का लगा रह गया। प्रधानाध्यापक के अनुसार शनिवार की सुबह जब वो विद्यालय पहुंचे तो उन्हें

बरामदे में गेहूं और चावल बिखरा मिला तथा कक्ष का ताला टूटा मिला। तत्काल प्रधानाध्यापक ने 112 डायल करके पुलिस बुलवाया और उनके सामने कक्ष को खुलवाया। उक्त घटना के संबंध में प्रधानाध्यापक ने तहरीर देकर उचित कार्यवाही की मांग किया है।

उप चुनाव में जीत के लिये मुख्यमंत्री योगी ने सौंपी जिम्मेदारी

लखनऊ (आभा)। उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपमुख्यमंत्रियों, जिलों के प्रभारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संगठन के पदाधिकारियों के साथ शनिवार को एक बैठक की। बैठक में उपचुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ और रणनीतियां तैयार की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी नौ सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी। मीटिंग में मंत्रियों और पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया।

बैठक में यह भी तय हुआ कि उपचुनाव में पार्टी का कोई भी नेता अपने निर्धारित क्षेत्र में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई कमी न छोड़ें। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी दौ सीटों पर दो–दो

रैलियां करेंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हर सीट महत्वपूर्ण है और इसके लिए बूथ स्तर पर सटीक प्रबंधन और निगरानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने नेताओं को अपने–अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चौपाल के माध्यम से जनता की समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए जिससे लोगों का विश्वास पार्टी में बढ़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभारी मंत्री और पदाधिकारी उन जिलों में अधिक समय बिताएं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को सुनें और त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

जिलों के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चुनावी तैयारियों को और सुदृढ़ किया जाए। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी नौ सीट के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। चौधरी ने विश्वास जताया कि पार्टी न सिर्फ नौ घोषित सीटों पर विजय प्राप्त करेगी बल्कि जल्द ही दसवीं सीट भी घोषित होगी और वह भी भाजपा के खाते में ही जाएगी।

दीपावली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश

लखनऊ (आभा)। प्रदेश सरकार ने शहरों में सड़कों को दीपावली से पहले अनिवार्य रूप से ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि सड़कों को विशेष अभियान चलाकर गड्ढा मुक्त किया जाए और जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके काम पूरे कराए जाएं। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है।

प्रमुख सचिव आवास की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सड़कों को लेकर बैठक हुई थी। इसमें सड़कों को ठीक कराने की अपेक्षा की गई है। कहा गया है कि आगामी पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आने–जाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी

प्रदेश में आते हैं। सड़कें ऐसी हो जिससे उस पर चलने में सुखद अनुभव हो।

नई सड़क बनाने और गड्ढामुक्त करने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए उन्हें अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दीपावली आदि पर्व और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 10 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया जा चुका है। इसीलिए अब 31 तक नए सिरे से अभियान चलाकर सड़कों को ठीक किया जाएगा। गड्ढामुक्ति अभियान में मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइजड रोड बनाने में प्राथमिकता दी जाए। सभी विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।

प्रदेश की प्रत्येक सड़क को अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर बनाया जाए और अच्छी स्थिति में रखा जाए। सड़क निर्माण में नई तकनीकी जैसे फुल डैप्थ रीक्लेमेशन (एफडीआर) आदि का उपयोग किया जाए, जिससे निर्माण सामग्री व लागत की कमी आए। सुनियोजित तरीके से कम समय में गुणवत्तापूर्ण मार्गों का निर्माण किया जाए। विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा बनवाई जाने वाले सड़कों की पांच साल की गारंटी हो । सांसदों व विधायकों की निधियों से बनी सड़कों का स्वामित्व पूर्व में जिस विभाग के पास हो उससे ही बनवाने के साथ मरम्मत कराई जाए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में 9 मामले निस्तारित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सम्पूर्ण समाधान दिवस रूधौली तहसील सभागार में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक दशा में निष्पक्षता, समयबद्धता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करें, प्रत्येक प्रकरण की जांच के समय शिकायतकर्ता का पक्ष अवश्य सुना जाए तथा सभी तथ्यों की भॅलीभॉति जांच करने के उपरान्त ही प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग से संबंधित शिकायतों को गम्भीरता से सुने और त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद ने बताया कि कुल 52 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें से 9 का मौके पर निस्तारण किया गया। इसमें

राजस्व के 30, विकास के 7, विद्युत के 4, समाच कल्याण के 03, पुलिस, लीड बैंक व पूर्ति के 2–2 तथा कृषि व नगरपंचायत 1–1 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। सम्पूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डा. आर.एस. दुबे सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण व तहसीलदार उपस्थित रहें।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर रूधौली तहसील परिसर में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन–सीटू मैनेजमेण्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषको को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

उप कृषि निदेशक अशोक कुमार गौतम ने बताया कि जनपद में पराली ना जलाने हेतु कृषक बन्धुओं की जागरूकता के लिए प्रत्येक विकास खण्डों में प्रचार वाहन के माध्यम से जागरूक किया जायेंगा। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी रूधौली शाहिद अहमद, विभागीय अधिकारी व कृषक बन्धुगण उपस्थित रहें।

मनबढ युवक ने तोड़ दिया बाबा साहब की प्रतिमा ग्रामीणों की मांग पर स्थापित हुई नई प्रतिमा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में मनबढ़ युवक द्वारा बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिये जाने का मामला सामने आया है। प्रतिमा खंडित होने के चलते वह चबूतरे से उखड़कर भूमि पर जा गिरी, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और अब वे नई प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग कर रहे थे। प्रशासनिक स्तर पर तत्काल प्रभाव से बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करा दिया गया है।

घटना उक्त थाना क्षेत्र के तेलियाडीह गांव की है। गांव के ही युवक जयचंद चौहान पर आरोप है कि उसने शुक्रवार की रात्रि में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उसने कुछ लोगों के उकसाने पर ऐसा काम किया है, इस बात की जानकारी

जैसे ही ग्रामीणों को हुई उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

घटना को लेकर एसओ कप्तानगंज दीपक दुबे ने बताया कि जानकारी होने पर पुलिस टीम मौके पर गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है, स्थिति सामान्य है।

भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन, बुद्धेश राना, विनय कुमार, चन्द्र प्रकाश, राजेश कुमार, तिलकराम, विशाल कुमार गौतम, टार्जन माइकल,बृजेश सिंह, अजय कुमार, जगदीश प्रसाद, लवकुश कुमार आदि मौके पर पहुंचे और कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न होने पाये। भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने कहा कि इस प्रकार की घटनायें दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी महापुरूषों के अपमान का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

महन्थ यति नरसिंहानन्द सरस्वती के विरूद्ध कार्यवाही की मांगः सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । शनिवार को राज ए–मुस्तफा कमेटी कुसौरा बाजार के प्रबंधक मो0 इजहारूल हक अंसारी नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वारयल कराने वाले शक्तिधाम डासना देवी के महन्थ यति नरसिंहानन्द सरस्वती के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की मांग किया गया।

ज्ञापन देने के बाद मो0 इजहारूल हक अंसारी ने कहा कि कुछ लोग साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने की नीयत से पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन ऐसे

लोगों पर अंकुश लगाये। मो0 इजहारूल ने कहा कि शक्तिधाम डासना देवी के महन्थ यति नरसिंहानन्द सरस्वती के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाय। किसी को आपसी भाई चारा, सौहार्द बिगाडने का अवसर नहीं मिलना चाहिये।

ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अब्दुल रब, मुमताज अली, इरशाद अहमद, ऐजाज अहमद खान, जमशेद, अली हुसेन, मो. उमर, मो. इस्माइल, कयामुद्दीन, शाह आलम, मो. इरशाद, मो. जाफर, अतीक अहमद, सादिक हुसेन, शहजाद अहमद, मो. इस्लाम आदि शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 20 अक्टूबर 2024 रविवार

सम्पादकीय

नायब सिंह सैनी की दूसरी पारी

भले ही यह अप्रत्याशित हो, लेकिन यह एक टकसाली हकीकत है कि हरियाणा में भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिये स्पष्ट जनादेश मिला है। हो सकता है पार्टी यह कहे कि यह निर्णायक जनादेश भाजपा के शासन मॉडल के प्रति विश्वास मत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जरूरत इस बात की है कि उन मुद्दों पर मंथन किया जाए जिनको लेकर चुनाव के दौरान जनता में असहजता थी। निस्संदेह, नायब सिंह सैनी, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छाया में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने पिछली बार से अधिक सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनायी है। मगर जिस चीज से नायब सिंह सैनी को सावधान रहने की जरूरत है, वह है अति–आत्मविश्वास। हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अति–आत्मविश्वास की कीमत चुकाई है। निस्संदेह, सैनी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के पास हरियाणा में आधारभूत बदलाव से जनाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका है। उन्हें पूर्ण बहुमत वाली सरकार के रूप में जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये कृतसंकल्प होने की जरूरत है। दरअसल, चुनावी राजनीति में जनता के दरबार में उछले विपक्षी नेताओं के आरोप कई बार सत्तापक्ष को आत्मविश्लेषण का मौका भी देते हैं। चुनावी माहौल में जहां विपक्षी दल सत्ता पक्ष की रीतियों–नीतियों को लेकर मुखर होते हैं,वहीं ऐसे मौके पर जनता की अभिव्यक्ति का भी अहसास होता है। भाजपा जैसे कुशल संगठन वाली कैडर आधारित पार्टी से उम्मीद की जाती है कि जिस तरह उसने चुनावों में माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसी तरह उसकी सरकार से भी उम्मीद की जाती है कि वह समस्याओं को भी बेहद करीब से सूक्ष्म स्तर पर महसूस करेगी। बहरहाल, भाजपा की इस जीत ने एक संदेश यह भी दिया है कि महज सत्ताविरोधी रुझान ही चुनाव परिणामों की दिशा–दशा तय नहीं करते। बदलाव की आकांक्षा को सुशासन व बेहतर प्रबंधन के मुद्दे भी गहरे तक प्रभावित करते हैं।

निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की दूसरी पारी में कार्यभार संभालने वाले नायाब सिंह सैनी की सरकार पर जनाकांक्षाओं का भारी दबाव होगा। उनका प्राथमिक उद्देश्य जनता से किये गए वायदों और उनके क्रियान्वयन होगा, जिससे जनता सुशासन की उपलब्धि महसूस कर सके। निश्चित रूप से किसी योजना की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता उससे किस हद तक लाभान्वित महसूस करती है। कई बार व्यवस्था की विसंगति इस मार्ग में बाधक बन जाती हैं। इसके लिये आश्वासन व क्रियान्वयन में साम्य जरूरी हो जाता है। निस्संदेह, पिछले मार्च में जब सैनी ने अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर की छत्रछाया में सरकार का दायित्व हासिल किया था तो उन्हें राजनीतिक हलकों में गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में न केवल खुद को साबित किया बल्कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। निस्संदेह, हरियाणा के इस नये जनादेश के दूरगामी परिणाम होंगे। इतना ही नहीं इस जीत ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में भी एक नया उत्साह भर दिया। यह उत्साह महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव अभियान में भी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इन चुनावों ने मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी का राजनीतिक कद बढ़ाया है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी उन्हें सकारात्मक प्रतिसाद व संबल मिला है। वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। उन्हें क्षेत्र व जाति की सीमाओं से परे 'सबका साथ, सबका विकास' का लक्ष्य हासिल करना है। उनके लिये यह सुखद है कि जहां राज्य में उन्हें पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने से पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है,वहीं केंद्र से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। निस्संदेह, उन्हें 'डबल इंजन की सरकार' के मुहावरे को साकार करने का अवसर मिला है। जरूरत इस बात की कि वे पूर्व सरकार के मुखिया की छाया से निकलकर शासन की नई सर्व स्वीकार्य दिशा तय करें। वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नजर आएं, जिससे राज्य में सरकार की स्वीकार्यता बढ़ सके। जिसमें पार्टी के वरिष्ठ विधायकों का अनुभव व कनिष्ठ विधायकों की ऊर्जा मददगार होगी।

लोकतंत्र की डगर पर एक राष्ट्र, एक चुनाव

–शशि थरूर–

भारतीय लोकतंत्र की गरिमा बचाने वाला एक अनुग्रह है– हालांकि कुछ लोगों के लिए यह भारत की सबसे अधिक परेशान करने वाली खामियों में एक होगा कि व्यावहारिक रूप से यहां सदा कोई न कोई चुनाव चलता रहता है। इसलिए, पिछले आम चुनाव की गूंज जैसे ही खत्म हुई दृ जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद पर तो बनाए रखा, लेकिन बहुमत के बिना और गठबंधन सरकार के नेतृत्व के साथ जल्द ही हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। जिसके पिछले सप्ताह घोषित परिणामों ने राजनेताओं और चुनाव विशेषज्ञों, दोनों को चौंका दिया।

हरियाणा में मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, जहां पर उसकी हार की उम्मीद बताई जा रही थी। वहीं जम्मू–कश्मीर में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने अपने क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जीत पाई, जबकि वहां पर चुनावों में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत न मिलने के कारण त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। जून के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव पंडितों के कयास गलत निकले थे दृ उन्होंने भाजपा की तगड़ी जीत का अनुमान लगाया था दृ निश्चित रूप से भारत के मतदाता का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता।

अपेक्षाओं को धता बताने के और अधिक मौके भारतीय मतदाताओं को शीघ्र ही मिलने जा रहे हैं। साल खत्म होने से पहले और दो राज्यों –महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। उनके बाद नंबर दिल्ली का होगा, जिसके संकटग्रस्त मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा देकर समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है (जो वैसे भी अगले मार्च तक होने हैं)। दूसरे शब्दों में, चुनाव एक साथ होने के बजाय दृ भारत के 28 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में से हर कोई अपनी सरकारें चुनता है – भारत का यह चुनावी पंचांग अब बदलने की बात हो रही है।

मोदी सरकार के लिए, यह सारी चुनाव से संबंधित अनिश्चितता बहुत दूर निकल चुकी है। वह चाहते हैं कि भारत एक निश्चित चुनावी कार्यक्रम स्थापित करे, जिसके अंतर्गत लोकसभा (संसद का निचला सदन), राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों, सभी के लिए हर पांच साल में एक ही तारीख को मतदान हो। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च–स्तरीय समिति ने हाल ही में इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए एक बृहद रिपोर्ट तैयार की, जिसे पीएम मोदी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का नाम दिया है।

चुनावों की बारम्बारता वास्तव में किसी राष्ट्रीय सरकार के लिए एक चुनौती है। मसलन, जहां राज्य व स्थानीय चुनावों में अधिकांशत: स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं और अक्सर इन्हें राष्ट्रीय सरकार पर एक प्रकार के जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर, स्वतंत्र चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव के दौरान शासन व्यवस्था ठप हो जाती है, ताकि कार्यकारी सरकार ऐसी नीतिगत घोषणाएं न करने पाए, जिससे कि मतदाता उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित हो। इसके अलावा, राष्ट्रीय नेता चुनाव वाले राज्यों में प्रचार करने में व्यस्त हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना राजनीतिक इतिहास होता है और अक्सर, उनकी अपनी पार्टियां भी। पीएम मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह अपने दस वर्षीय कार्यकाल के दौरान अंतहीन चुनावी अभियान में व्यस्त रहे, जिससे कि उनके अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए बहुत कम समय बचा। प्रधानमंत्री मोदी की दलील है कि बार–बार चुनाव कराने से पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। हो सकता है उन्हें यह विचार भी आया होगा कि एक साथ चुनाव करवाने पर राष्ट्रीय पार्टियों और मुद्दों का फायदा राज्य चुनावों में मिल सकता है, ताकि राष्ट्र व्यापी चुनाव प्रचार में स्थानीय नेताओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना कम ही रहे।

विपक्ष इस प्रस्तावित सुधार को खारिज करता है, यह इंगित करते हुए कि सभी चुनाव एक साथ करवाने पर खर्च में जो भी मामूली बचत हो पाएगी, उसके बरक्स,चुनाव अभियानों में जिस प्रकार बड़े पैमाने पर पैसा लगाए जाने से आर्थिकी को प्रोत्साहन मिलता है, उससे वंचित होने का नुकसान होगा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रस्ताव भारत के संघीय स्वरूप और विविधता को कुचलने का मंसूबा दर्शाता है, जोकि मोदी के एकात्मकवाद के प्रति लगाव को कार्यकुशलता के रूप में पेश करता है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह अव्यावहारिक है, जिसको हम अपने अनुभवों से जानते हैं। स्वतंत्रता उपरांत, भारत ने एक ही तारीख पर चुनाव करवाने वाली व्यवस्था कायम की थी। लेकिन यह व्यवस्था 1952 से 1967 तक, केवल पंद्रह वर्षों तक चल पाई। इसकी वजह भारत की संसदीय प्रणाली के मूल में निहित हैरू सरकारों के लिए विधायी बहुमत बनाए रखना जरूरी है। यदि कोई सरकार अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले बहुमत खो देती है, तो नए चुनाव होने चाहिए। हो सकता है कोई सरकार अपना बहुमत बढ़ाने की इच्छा से समय पूर्व चुनाव करवाने के लिए कहे।

यह अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग समय पर हो गुजरा है,और राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा, खासकर कई राज्यों में गठबंधन सरकार होने के कारण। भारतीय राज्य अपनी लय पर चलते हैं, जोकि दिल्ली में संघीय प्रणाली का ढोल बजाने वालों से बहुत अलहदा है। एक राष्ट्रीय गठबंधन सरकार, जैसी वर्तमान में मोदी के नेतृत्व वाली है, वह भी गिर सकती है। तब क्या? निश्चित ही, किसी सरकार के लिए नए सिरे से चुनावी जनादेश प्राप्त किए बिना सत्ता में बने रहना अलोकतांत्रिक होगा। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार तभी अर्थपूर्ण हो सकता हैजब मुख्य कार्यकारी सीधे चुने जाएं ताकि उनका जनादेश विधायी बहुमत पर आधारित न हो दृ दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति प्रणाली। और, वास्तव में, भारत में राज्यों और यहां तक कि संघीय स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था बनाने लिए विमर्श चलाया जा सकता है, लेकिन मोदी ऐसा नहीं कर रहे।

भारत के लोकतंत्रवादियों को लंबे समय से विश्वास है कि राष्ट्रपति प्रणाली तानाशाही को बढ़ावा देगी, और इसीलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन संसदीय प्रणाली ने अपनी किस्म की निरंकुशता बनाई है, क्योंकि अति आत्मविश्वासी कार्यपालिका ने विधायी बहुमत को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति प्रणाली में, कार्यपालिका एक स्वतंत्र विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी,यह विधायिका को नोटिस बोर्ड और रबर की मुहर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसा कि भाजपा एक दशक से कर रही है।

लेकिन यह विचार अभी केवल एक सोच भर है, और भारत की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' किसी काम का नहीं है। हर प्रकार से,जिस आखिरी चीज की आवश्यकता भारतीय लोकतंत्र को है, वह है कुछ चुनाव होते रहना, वह एकमात्र व्यवस्था जिसके जरिए हम –भारतीय जनता– सरकार की अति महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ अपना मत दे सकते हैं। यह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मूलतः अलोकतांत्रिक बनाता है।

बहरहाल, हमें आगामी महीनों में होने वाले दो या तीन राज्यों में विधानसभा चुनावों का स्वागत करना चाहिए। शायद, भारतीय मतदाता अपने 'राजनीतिक आकाओं' को फिर से कुछ और चौंकाएंगे।

साभार – प्रोजेक्ट सिंडिकेट 2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का तकीनीकी युग

–सुश्री शोभा करंदलाजे–

वर्तमान समय में, विश्व तीव्र गति से एक ऐसे तकनीकी भविष्य की ओर बढ़ रहा है,जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक आख्यान का केंद्र बिंदु बन गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत का लक्ष्य हमारे युवाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातिध अनुसूचित जनजाति से आने वाले समुदायों,महिलाओं, दिव्यांगजनों, पूर्वसैनिकों और आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों जैसे पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों से उद्यमिता को एक व्यवहार्य करियर मार्ग के रूप में लेने के लिए प्रेरित करना है। उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम का विजन केवल कारोबार के सृजन तक ही नहीं, बल्कि इससे आगे तक जाता है। यह बेरोजगारी को संबोधित करने के साथ–साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)सैक्टर में ऋण गारंटी योजना की घोषणा से प्रसन्नता की लहर है, जो मशीनरी के लिए 100 करोड़ रुपए तक के जमानत–मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है और यह सीधे तौर पर किफायती ऋण तक पहुंच की महत्वपूर्ण चुनौती को संबोधित करती है तथा कारोबारियों को अपने व्यवसाय में उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश करने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में संकट की अवधि के दौरान ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को शुरू किया गया है जो सरकार–गारंटीड निधि द्वारा समर्थित है और ये व्यवसायों को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति बनने से रोकने में मदद करता है और समग्र आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है।

'तरुण' श्रेणी के तहत उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण को दोगुना करके 20 लाख रुपए करना एक काफी बड़ा प्रोत्साहन है,जो व्यवसायों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। कम टर्नओवर सीमा और विस्तारित पात्रता के साथ व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली में सुधार एम.एस.एम.ई. के लिए तरलता और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाता है।

3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एम.एस.एम.ई. समूहों में सिडबी शाखाओं का नियोजित विस्तार अधिक सुलभ वित्तीय सेवाओं का आश्वासन देती है, जिससे स्थानीय आध्थक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, 50 बहु–उत्पाद खाद्य विकिरण ईकाइयों और 100 एन.ए.बी.एल.–मान्यता प्राप्त खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा और नए बाजार के अवसर खुलेंगे। पी.पी.पी. मोड में ई–वाणिज्य निर्यात केंद्र का निर्माण एक और दूरदर्शी पहल है, जो एम.एस.एम.ई. और पारंपरिक कारीगरों को वैश्विक बाजारों तक अधिक आसानी से पहुंचने और डिजिटल बदलाव तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

नियोक्ता के कल्याण का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को एक लाख रुपए प्रति माह तक कमाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मी के लिए 2 वर्ष के लिए 3,000 रुपए मासिक तक की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसका लक्ष्य 50 लाख नए कामगारों को रोजगार देना है। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेश स्थापित करने के लिए उद्योगों के साथ भागीदारी करके एक ठोस कदम उठा रही है, साथ ही विशेष कौशल विकास कार्यक्रम और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच उपलब्ध करा रही है। इसका आदर्श वाक्य है समावेशिता। दूसरी ओर, शैक्षणिक संस्थान ज्ञान और नवाचार के केंद्र हैं, लेकिन कभी–कभी उनमें व्यवहारिक अनुप्रयोग संदर्भों का अभाव पाया जाता है। एम.एस.एम.ई. नवप्रवर्त्तनकारी योजना इस अंतर को पाटती है और एक पारस्परिक संबंध बनाती है, जो दोनों क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापक हो जाती है।

छात्रों के लिए, यह वास्तविक दुनिया की व्यावसायिक चुनौतियों और अवसरों के लिए मूल्यवान संपर्क मुहैया कराता है। एम.एस.एम.ई. के लिए, ये नए परिप्रेक्ष्य और नवीनतम शैक्षणिक शोध तक पहुंच प्रदान करता है, जो संभावित रूप से उनकी परिचालन चुनौतियों के लिए नव–प्रवर्तनकारी समाधान की ओर ले जाता है। आज तक, हमने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ नौकरियों की उल्लेखनीय बढ़ौतरी देखी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम एक ऐसे भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विकास हर घर तक पहुंचे और हर व्यक्ति के जीवन को छुए तथा हमारी सामूहिक ऊर्जा को विश्वगुरु बनने के आदर्श की ओर ले जाए। (लेखिका केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री हैं।)

स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते कूड़े के पहाड़

–ज्ञानेन्द्र रावत–

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ गंभीर समस्या बन चुके हैं, और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गठित विशेष कार्यबल की बैठक में कचरे के निपटान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर कचरा निपटान के लिए मौजूदा कानूनों के सख्त अनुपालन और कचरे से बिजली बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही, सड़कों और निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण के उपायों को भी प्राथमिकता देने की बात की गई।

वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वर्षों से जमा कूड़े के ढेरों को समाप्त करना था, जो अब पहाड़ की शक्ल ले चुके हैं। यह मिशन 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू हुआ, और एक महत्वपूर्ण पड़ाव 1 अक्तूबर 2021 को आया जब एसबीएम–2.0 की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, और यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में ऐसी समस्याएं न उभरें।

केंद्र सरकार ने कूड़े के ढेरों को समाप्त करने के लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना शुरू की थी, जिसमें राज्यों से सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, राजनीतिक दांवपेच के चलते इन कूड़े के पहाड़ों का निवारण अब तक नहीं हो सका है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में केवल 15 फीसदी कूड़े के पहाड़ कम हो पाए हैं, जिसकी आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भी पुष्टि की गई है। यह स्थिति समस्या के समाधान में अनिच्छा और समन्वय की कमी को दर्शाती है।

देश में 2,421 कूड़ाघर हैं, जहां 1,000 टन से अधिक ठोस कचरा जमा है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, कूड़े के पहाड़ों में लगभग 15,000 एकड़ जमीन पर 16 करोड़ टन से ज्यादा कचरा फंसा है, जिसका निस्तारण एक बड़ी चुनौती है। प्रयासों के बावजूद, केवल 470 स्थानों को पूरी तरह साफ किया जा सका है, जबकि 730 साइटें अभी तक निस्तारण की प्रक्रिया से बाहर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि नगर निकायों के पास कचरे के निस्तारण की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।

कुछ राज्यों की बात करें तो इस मामले में गुजरात शीर्ष पर है, जहां 202 लाख टन ठोस कचरे में से केवल 10.73 लाख टन कचरे का ही वहां निस्तारण होना बाकी है। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 203 लाख टन ठोस कचरे में से 126.02 लाख टन कचरे का निस्तारण अभी बाकी है। महाराष्ट्र में 388 लाख टन में से 242 लाख टन, पंजाब में 73.62 लाख टन में से 37.73 लाख टन, मध्य प्रदेश में 63.23 लाख टन में से 47.68 लाख टन, जम्मू–कश्मीर में 22.10 लाख टन में से 21.08 लाख टन, उत्तराखंड में 14.12 लाख टन में से 7.36 लाख टन और छत्तीसगढ़ में 6.54 लाख टन में से 0.52 लाख टन कचरे का निस्तारण अभी बाकी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार 1,250 डंप साइटों में कूड़ा निस्तारण का काम पिछले दिनों शुरू कर दिया गया है।

राजधानी दिल्ली में लाख कोशिशों के बावजूद कूड़े के पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां चार बार तो समय सीमा भी बदली जा चुकी है। सरकार, नगर निगम के बीच दांवपेच के चलते अभी तय की गयी दिसम्बर, 2028 की समय सीमा में फिर बदलाव हो सकता है। दिल्ली में गाजीपुर, ओखला और भलस्वा ये तीन मुख्य लैंडफिल साइटें हैं। यहां ओखला और भलस्वा में कचरा निस्तारण का काम बंद पड़ा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर निस्तारण प्रक्रिया की धीमी गति के कारण, वहां 30 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण होना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 12 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण हो सका है।

वहीं, नगर निगम की स्थायी समिति के गठन में विलंब के कारण नरेला–बवाना में 3000 टन प्रतिदिन और गाजीपुर में 2000 टन प्रतिदिन कचरे से बिजली बनाने वाले नए प्लांट की योजना स्वीकृति न मिलने के चलते अधर में लटकी हुई है। तेहखंड लैंडफिल पर भी लगे कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट की कूड़ा निस्तारण क्षमता में 1000 टन रोजाना बढ़ोतरी की योजना भी अधर में लटक गयी है।

मौजूदा हालात पर नजर डालें, तो गाजीपुर, ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइटों में कुल 159.87 लाख टन कचरा मौजूद है। यदि निस्तारण की गति इसी रफ्तार से बनी रही, तो उम्मीद है कि 2028 तक इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जा सकेगा। यह बात दीगर है कि कूड़े के पहाड़ पहले से कुछ कम जरूर हुए हैं। लेकिन इनके आसपास रहने–बसने वाले लोग, प्रदूषित व जहरीला पानी पीने से संक्रामक रोग, बुखार, किडनी में पथरी सहित पेट के रोगों और जहरीली बदबूदार हवा में सांस लेने के चलते फेफड़े, आंत्रशोथ, हृदय रोग के शिकार होकर मौत के मुंह में जाने को विवश होंगे।

वास्तव में जानलेवा बीमारियों की चपेट में आकर अनचाहे मौत के मुंह में चले जाना इन लोगों की नियति बन गयी है। जब तक इन कूड़े के पहाड़ों की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक आसपास बसी बस्तियों के लोगों को इन जानलेवा बीमारियों से निजात मिलना मुश्किल है।

बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पन्न पकड़ी नौनिया ओवर ऑल चैंपियन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
महराजगंज। दो दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। इसमें में पकड़ी नौनिया ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओवर ऑल चौंपियन होने का गौरव प्राप्त किया तथा न्यायपंचायत खुटहा को उपविजेता की ट्रॉफी मिली। समापन समारोह में विजेता टीम को शील्ड तथा मेडल देकर पुरस्कृत किया गया ।

क्षेत्रीय व्यायाम शिक्षक सदर महराजगंज अखिलेश पाठक ने बताया कि बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्राथमिक बालक कबड्डी में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा खुटहा को सिल्वर मेडल बालिका कबड्डी में दरौली को गोल्ड तथा खुटहा को सिल्वर मेडल प्राथमिक बालक खो खो में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा महुआवा को सिल्वर मेडल प्राथमिक बालिका खो खो में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा खुटहा को सिल्वर मेडल मिला । जूनियर बालक कबड्डी में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा सिल्वर खुटहा को मिला ,जूनियर बालिका कबड्डी में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा दरौली को सिल्वर मेडल जूनियर बालक खो खो में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा महुआवा को सिल्वर मेडल जूनियर बालिका खो खो में पकड़ी नौनिया को गोल्ड तथा सोनरा को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ ।

प्राथमिक बालक वर्ग में किशन महुअवा ने ब्लॉक चौंपियन होने का गौरव प्राप्त किया जबकि खेल के दौरान ही उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और हॉस्पिटल से प्लास्टर करा कर पुनः क्रीड़ा स्थल पर आकर अपना चौंपियनशिप ट्राफी प्राप्त किया ।बालिका वर्ग में रंजना पकड़ी नौनिया ब्लॉक चौंपियन तथा जूनियर बालक वर्ग में ऋषिकेश पकड़ी नौनिया तथा सोनाली पकड़ी नौनिया ने चौंपियन होने का गौरव प्राप्त किया ।समूह गान में पिपराबाबू को गोल्ड मेडल तथा पकड़ी नौनीया को सिल्वर मेडल ,लोकगीत में पिपरा बाबू को गोल्ड तथा सोनरा को सिल्वर मेडल मिला ।विजेता खिलाड़ियों को बैजनाथ सिंह, डा0त्रिभुवन गोपाल,बलराम निगम आदि ने पुरस्कृत किया ।अमरेंद्र प्रताप , मौसम, नर्वदा चंद,नवनीत पटेल सुजीत कुमार ,नवनीत पाण्डेय,यशवंत राव ,मुकेश कुमार ,राजेश धारियां,कविता गौतम ,दीपाली,कृष्ण कुमार मद्धेशिया,राजकिशोर,साकेत जैन,रवि यादव ,वेद त्रिपाठी,अखिलेश मिश्रा, सहित कई शिक्षक मौजूद रहे । संचालन पंकज कुमार मौर्य और दिवाकर ध्वज सिंह ने किया ।

मण्डलीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–
बस्ती। मंडल स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को किसान इंटर कॉलेज भानपुर के परिसर में हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ तहसीलदार भानपुर पंकज कुमार गुप्ता तथा किसान इंटर कॉलेज की प्रबंधक रोशनी पाण्डेय ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। प्रतियोगिता की पहली दौड़ सीनियर बालक वर्ग 800 मी. का शुभारंभ तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर किया। जिसमें संतकबीरनगर जिला विजई रहा। संतकबीरनगर के भोलू प्रथम, सिद्धार्थनगर के रोहित द्वितीय तथा बस्ती के अजय कुमार तृतीय स्थान पर रहे। तहसीलदार ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ अपने जनपद के गौरवार्थ प्रतिभाग करें और अपने साथ–साथ अपने जिले का भी नाम रोशन करें।

–800 मीटर दौड़ में जनपद संतकबीरनगर अव्वल

आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ अनिल कुमार राय ने बताया कि यह प्रतियोगिता सोमवार तक चलेगी जिसमें मंडल के सभी जिलों की विजई टीमें और खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। निर्णायक मण्डल में प्रभाकर रंजन ओझा, माता प्रसाद त्रिपाठी, अमित यादव, कृष्ण कुमार पाठक, संतोष पाण्डेय, सुनील विश्वकर्मा, प्रदीप त्रिपाठी, शैलेन्द्र, नवनीत पाण्डेय, विवेक श्रीवास्तव, अरुण कुमार, जोखू , विजय मणि शामिल रहे। संचालन अजय कुमार वर्मा ने किया।

इस अवसर पर देवेंद्र चौधरी, अरविंद सिंह, अरविंद कुमार सिंह, सफीकुर रहमान, राजेश पाण्डेय, हीरालाल यादव, रजनीश, राम सनेही, संजय पाण्डेय, अवधेश सिंह आदि उपस्थित रहें।

बहराइच हिंसाः बुलडोजर एक्शन से पहले ही खाली होने लगीं दुकानें, मकानों पर चलने लगे हथौड़े

संवाददाता–बहराइच।
महराजगंज कस्बे में हुए बवाल और आगजनी के बाद मुख्य सड़क की पटरियों तक फैले अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का खौफ शनिवार को साफ नजर आया। एक दिन पहले लगाए गए नोटिस के अगले दिन सुबह से ही अतिक्रमणकारी खुद ही अपने आशियानों व दुकानों पर हथौड़ा चलाने लगे। टिनशेड, दरवाजा व अन्य सामान ट्रैक्टर–ट्रॉलियों व रिक्शों पर लादकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने में लगे रहे। किराएदारों ने भी समान समेटकर नए ठिकाने की तलाश में दिखे। हालांकि इस दौरान कस्बे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। हरदी थाने के महराजगंज में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पथराव व हत्या के बाद हुई आगजनी, तोड़फोड़ की घटना से तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। कस्बे से होकर निकले जिले के प्रमुख मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण कर दुकानें व मकान बना लिए गए हैं। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के कर्मियों की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर 23 मकानों व दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया था। इसमें रामगोपाल की हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपित सरफराज का मकान भी शामिल है। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन की ओर से सोमवार तक सभी को खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। मंगलवार के बाद विभागीय बुलडोजर चला देने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान आने वाले खर्च की भरपाई भी अतिक्रमणकारियों से ही वसूलने को कहा गया है। इसके बाद महराजगंज में हड़कंप की स्थिति बन गई है। सुबह से ही लोग सामानों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। दुकानों व मकानों के आगे बने टिनशेड को भी हटाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के जेई पंकज सिंह ने बताया कि पिछले साल भी नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने को लेकर लोग गंभीर नहीं हो रहे थे, जिससे सख्ती से निपटने को लेकर यह कदम उठाया गया है। बहराइच में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाए गए नोटिस की सख्ती का असर दिखाई तो महसी से भाजपा विधायक ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त

की। महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने शनिवार को कहा, लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। सिंह ने कहा, पहले चरण में दुकानों के खिलाफ जारी नोटिस के अनुसार, जिन दुकानों को तोड़ा जाना है, उनमें तीन हिंदुओं और 20 दुकानें मुसलमानों की हैं। जो दुकानें निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती हैं उन पर कार्रवाई होगी फिर चाहे वह हिंदू की हो या मुसलमान की। दूसरे चरण में देखना होगा कि ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर करीब 50 दुकानें हैं। एक–दो दुकानों को छोड़कर महराजगंज बाईपास पर अधिकांश दुकानों पर कार्रवाई हो सकती है।

हराजगंज बवाल व आगजनी मामले की जांच–ज्यों–जयों आगे बढ़ रही है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में उपद्रवी आ रहे हैं। अब तक 14 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें पांच मुकदमे पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए हैं। 83 आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनको जेल भेजा जा चुका है। इनमें 59 मुस्लिम व 24 हिंदू पक्ष के लोग शामिल हैं। कई अज्ञात लोगों पर वीडियो फुटेज से चिह्नित कर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।

अधिवक्ताओं ने एसडीएम और सीओ को तहसील में घेरा

संवाददाता–महराजगंज।
अपनी मांगों को लेकर नौतनवा तहसील में धरना दे रहे अधिवक्ता शनिवर को प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य गेट पर ही बैठ गए। समाधान दिवस में जाने के लिए जैसे ही एसडीएम व सीओ मुख्य गेट पर पहुंचे, अधिवक्ताओं ने उन्हें घेर लिया। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के चलते अधिकारियों के पहुंचने के बाद समाधान दिवस में एक भी फरियादी नहीं पहुंच सका। नौतनवा थाना में शनिवार को समाधान दिवस में अधिकारियों के पहुंचने से पहले पांच फरियादी पहुंचे थे। तहसील दिवस में अधिकारी पहुंचते अधिवक्ता संघ ने मुख्य गेट को अवरुद्ध कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाधान दिवस समय समाप्त होते ही जब अधिकारी बाहर निकले तब भी अधिवक्ता उन्हें बीच में काफी देर तक घेरे रखा।

शिकायतें आईं 98 और निस्तारित की गई सिर्फ एक

संवाददाता–गोण्डा। शनिवार को करनैलगंज तहसील में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम नेहा शर्मा व एसपी विनीत जायसवाल ने समाधान दिवस में पहुंचकर मामले की सुनवाई की। इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व व पुलिस से संबंधित आईं। वहीं सरकारी भूमि पर कब्जे की भी कई शिकायतें आईं। समाधान दिवस में कुल 98 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमें सिर्फ एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के निस्तारित करने के लिए मातहतों को निर्देशित किया गया। भूमि विवाद से संबंधित अधिक शिकायतों को देखते हुए डीएम ने राजस्व कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। ऐसे विवादों का निस्तारण जल्द करने व सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे को तत्काल रोकवाने और अवैध कब्जेदारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि एक शिकायत प्राप्त होने के बाद यदि दोबारा वह शिकायत तहसील दिवस में प्राप्त होती है तो संबंधित ग्राम सभा के लेखपाल और पुलिसकर्मी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रभागीय वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी भरत भार्गव, पुलिस क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रभात सिंह, तहसीलदार मनीष कुमार, नायब तहसीलदार अल्पिका वर्मा, जयशंकर सिंह, संतोष कुमार यादव सहित सभी जिला स्तरीय विभागाध्यक्ष एवं तहसील तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

संपूर्ण समाधान दिवस पर जहां डीएम व एसपी एक तरफ लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने में जुटे दिखायी दे रहे थे तो वहीं एक महिला अधिकारी अपने मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। उसका मोबाइल देखते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें महिला अधिकारी बड़े ही इत्मिनान से मोबाइल पर वीडियो देखते हुए नजर आ रही है। हालांकि हिन्दुस्तान किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महिला अधिकारी का यह व्यवहार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

कार्यालय जिला पंचायत बस्ती

पत्रांक– 690 /निविदा/जि०पं०/2024–25 दिनांक– 19.10.2024

अल्प कालिक ई–निविदा सूचना

जिला पंचायत के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों के साथ–साथ राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 व 2024–25 में पंचम राज वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग योजनानार्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष चयनित निर्माण कार्यों व ई–निविदा/ई–निविदा, जिला पंचायत बस्ती द्वारा दिनांक 08.10.2024 को सांय 5:00 बजे तक आमत्रित की गयी थी जिसमें क्रम सख्या–56.69,71,72 83 पर आई निविदायें प्राप्त नहीं हुई है। तत्क्रम में उक्त कार्यों पर पुनः एक नये कार्य की ई–निविदा (www.etender.up.nic.in पर) आमंत्रित की जानी है, जिसे वेबसाइड etender.up.nic.in पर दिनांक 21.10.2024 को अपरान्ह 11:00 बजे से डाउनलोड किये जा सकते है ऑनलाइन ई–निविदा की अन्तिम तिथि 28.10.2024 को सायं 05.00 बजे तक होगी, दिनांक 29.10.2024 को पूर्वांहन11:00 बजे जिला पंचायत कार्यालय में निविदा समिति के समक्ष निविदायें खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं व्याने की धनराशि का अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बस्ती के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगी, की स्केन प्रतियां, प्रत्येक निविदादाता द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र पर आनलाइन स्कैन करते हुये निविदा के साथ अपलोड किया जायेगा। निर्माण कार्यों का विवरण एवं शर्तो जानकारी ई–टेण्डर की वेबसाइड पर देखी जा सकती है साथ ही निविदा सम्बन्धी अन्य जानकारी किसी भी का दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सुनील प्रताप सिंह	विजय प्रकाश वर्मा	संजय चौधरी
अभियन्ता	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष
जिला पंचायत बस्ती।	जिला पंचायत बस्ती ।	जिला पंचायत बस्ती।

कार्यालय जिला पंचायत बस्ती

पत्रांक– 690 /निविदा/जि०पं०/2024–25 दिनांक– 19.10.2024

कार्यालय ग्राम पंचायत लोनहा विकास खण्ड बहादुरपुर-बस्ती।

अल्पकालिक निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (S.L.W.M.) केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त/मनरेगा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु ई–रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कूड़ेदान, प्लास्टिक बैंक, सफेद सीमेन्ट, गिट्टी, प्रथम श्रेणी ईंट, रोडा, सीमेन्ट, रेट्रोफिटिंग मोरंग, बालू, इण्टरलाकिंग ईट सरिया, लोहे का जाल हयूम पाइप वाल पुट्टी टीन चादर बजरफुट बजरी वाल पेटिंग प्लास्टिक पाईप कलेक्शन सेंटर हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर इलेक्ट्रानिक मेटेरियल आदि सामानों की आपूर्ति हेतु इच्छुक व मान्य आपूर्तिकर्ता दिनाकः 20.10.2024 से 24.10.2024 तक निविदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जो दिनाक 25.10.2024 सायं 12:00 बजे कार्यालय में खोली जायेगी। प्रतिबन्ध जो दिनाक नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

नोटः– निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार ग्राम प्रधान व सचिव में निहित होगा।

ग्राम प्रधान-संगीता	सचिव/ग्रां.प्र.अ.-राजेन्द्र प्रसाद
ग्राम पंचायत-लोनहा	ग्राम पंचायत-लोनहा
विकास खण्ड-बहादुरपुर, बस्ती	विकास खण्ड-बहादुरपुर, बस्ती

पत्रांक मेमो /19.10.2024 वित्तीय वर्ष 2024–25

डीएम का ताबड़तोड़ एक्शन-लेखपाल सस्पेंड, प्रधानाचार्य पर मुकदमा, बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

संवाददाता–देवरिया।
शनिवार को भाटपार रानी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम दिव्या मित्तल ने जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर चकबंदी लेखपाल को निलंबित करने का निर्णय लिया। बीडीओ भाटपार रानी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और एक प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया।डीएम ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेताया कि किसी भी प्रकार की कोताही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के ग्राम मधउर के निवासी बृजनंदन ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि उन्होंने चकबंदी लेखपाल से कई बार हस्ताक्षरित इंतखाब भूलेख की मांग की, लेकिन लेखपाल ने उन्हें दौड़ाया और अंततः अहस्ताक्षरित इंतखाब दिया। इस पर डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लेखपाल अमरनाथ गुप्ता को निलंबित करने का निर्देश दिया और बृजनंदन को हस्ताक्षरित इंतखाब भी उपलब्ध कराया। इसी तरह, प्राथमिक विद्यालय पिपरा दक्षिण पट्टी के प्रधानाध्यापक रामेंद्र कुमार गौतम पर आरोप लगा कि उन्होंने ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर धोखे से लेकर मध्याह्न भोजन निधि से एक लाख रुपए का आहरण किया। इस मामले में डीएम ने बीएसए को प्रधानाध्यापक के खिलाफ निलंबन और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। जिले के ग्राम करौदा के संतोष कुमार सिंह ने चकमार्ग पर अतिक्रमण के मामले में प्रार्थनापत्र दिया। डीएम ने बीडीओ को पहले ही निर्देशित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया। इसके अलावा, कृति शाही ने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे डीएम ने तुरंत निराकृत कराकर कार्ड उपलब्ध कराया।कानून–व्यवस्था से संबंधित मामलों की सुनवाई पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने की। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। इस समाधान दिवस में डीएम ने जन समस्याओं के प्रति अपनी तत्परता और गंभीरता का प्रदर्शन किया, जिससे स्थानीय जनता को राहत मिली।

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा
प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद संख्या–77/2024
1.शोभी वालिग उम्र लगभग 66 वर्ष 2. चिकन उम्र लगभग 64 वर्ष पुत्रगण स्व0 श्री शोहरत निवासीगण ग्राम मदुआपुर पोस्ट कलनाखोर तप्पा परगना तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

प्रार्थी/प्रार्थीगण
बनाम
इस्टेट

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
तारीख पेशी 21–11–2024
अपने मृतक को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।
चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2024 के 11 के 21 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।
20 के के दिवस को दिनांकित।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–2494/2024
धारा 116 उ0प्र0रा0संहिता 2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी भानपुर बस्ती जिला–बस्ती
अलीहसन
बनाम
गुलहसन आदि
2. मेंहदीहसन पुत्र अदालत साकिन बेलगड़ी तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला–बस्ती 3. अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बेलगड़ी तप्पा छपिया परगना रसूलपुर विकास खण्ड रामनगर तहसील भानपुर जिला–बस्ती
तारीख पेशी 24–10–2024
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 24 माह 10 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबावदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 17 माह 10 सन 2024 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा
प्रकीर्ण उत्तराधिकार वाद संख्या–93/2024
1.साधना उम्र करीब 45 वर्ष पत्नी महाबीर प्रसाद ग्राम सिरवत पोस्ट उदयराजगंज तहसील शोहरतगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर 2. गुड़िया गुप्ता उम्र करीब 41 वर्ष पत्नी संतोष कुमार निवासिनी ग्राम मदरहवा कला पोस्ट मदरहवा कला जिला–बलरामपुर 3. रेखा गुप्ता उम्र करीब 28 वर्ष पत्नी रामवेलास निवासी ग्राम व पोस्ट सिसवाबुजुर्ग जिला सिद्धार्थनगर

प्रार्थी/प्रार्थीगण
बनाम
इस्टेट

प्रा0 पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
तारीख पेशी 04–11–2024
अपने मृतक को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।
चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2024 के 11 के 04 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।
20 के के दिवस को दिनांकित।
द0 हाकिम

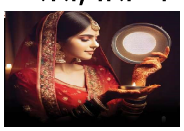

आज सुहागिनें 13 घंटे 6 मिनट रहेंगी निर्जल व्रत,पति के लंबी उम्र की करेंगी कामना

संवाददाता—गोरखपुर। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। व्यतिपात व वारियान योग में इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनें निर्जल व्रत रहकर पूजा–अर्चना करेंगी। चांद व पति को चलनी में देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत को पूर्ण करेंगी। श्री गोरक्षनाथ मंदिर के मठ पुरोहित व संस्कृत विद्यापीठ के वेद प्रवक्ता अखवनी त्रिपाठी के अनुसार, 20 अक्टूबर रविवार को कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि का मान दिन में 10 बजकर 46 मिनट तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि हो जा रही है। दिन में 1 बजकर 15 मिनट पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। इसी में चंद्रोदय रात में 7 बजकर 40 मिनट पर होगा। इससे इस समय व्यतिपात और वरीयान दोनों योग बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति रोहिणी नक्षत्र पर (उच्च का होने से) यह परिवार में शुभता प्रदान करने वाला और दांपत्य जीवन में मधुरता का संचार करने वाला होगा। पंडित विकास मालवीय ने बताया कि हिंदू पंचांग के मुताबिक, करवाचौथ का व्रत सुबह 6:46 बजे से शुरू होकर रात 7:40 बजे तक रहेगा। यानी पति के लिए सुहागिनें 20 अक्टूबर दिन रविवार को 13 घंटे 10 मिनट का व्रत रखेंगी। इस बार करवाचौथ पर गज केसरी योग पड़ रहा है, जो बहुत ही शुभाशुभ है। इस दिन नियम से व्रत पूजन करने से पति की आयु, यश और समृद्धि होती है. वहीं, इस बार उच्च राशि का चंद्रमा होने से अक्षत सुहाग के शुभ मांगलिक योग हैं. चंद्रोदय रविवार रात 07.56 बजे होगा. गोरखनाथ मंदिर संस्कृत विद्यापीठ के सहायक आचार्य डॉ. प्रांगेश कुमार मिश्र ने बताया कि करवा चौथ का चित्र दीवार पर अथवा कागज पर बनाया जाता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना ,भाई– बहन, हरि गौरी इत्यादि के चित्र बनाए जाते हैं। चंद्रमा निकलने से पूर्व पूजा स्थल रंगोली अथवा अल्पना से सजाया जाता है। तथा एक करवा रखी जाती है उसमें पांच अथवा सात सीक डाल दी जाती है। करवां मिट्टी का होता है। फिर रात में चंद्रमा निकलने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दिया जाता है।

बस पलटने से तीन की मौत, 20 घायल

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। जिले में बढ़नी के पास शुक्रवार देर शाम साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में ग्रामीणों से भरी बस पानी से भरी खाई में पलट गई। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। बस सवार बलरामपुर जिले में स्थित देवी पाटन मंदिर में बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे। मृतकों में दो बस सवार और एक साइकिल सवार शामिल हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सात लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मोहनकोला गांव निवासी विष्णु के चार वर्षीय पुत्र और रामप्रसाद की पुत्री कल्पना का मुंडन कराने नात–रिश्तेदारों सहित लगभग 50 से 60 लोग शुक्रवार को बस से बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन गए थे। लौटते वक्त ढेबरुआ थाना क्षेत्र में चरगहवा नाले के पास साइकिल सवार मंगनीराम पुत्र आश्रय निवासी खुरहुरिया, थाना ढेबरुआ को बचाने के प्रयास में बस बेकाबू होकर पानी से भरी खाई में पलट गई। इसमें बस सवार अजय शर्मा (14) पुत्र बाबूलाल निवासी पैकी, गामा (65) पुत्र मुन्ने निवासी मोहनकोला और साइकिल सवार मंगनीराम की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी में भर्ती कराया गया। वहां से सात लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे से मौके पर चीख–पुकार मच गई। डीएम राजा गणपति आर, एसपी प्राची सिंह, एडीएम उमाशंकर, सीएमओ डॉ. रजत चौरसिया मौके पर पहुंचे। इसके बाद डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। एसपी ने अपनी मौजूदगी में बस को क्रेन की मदद से निकलवाने सहित राहत कार्य शुरू कराया।

अतिक्रमण पर गरजा रेलवे का बुलडोजर

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। बढ़नी कस्बे में रेलवे की जमीन पर हुए अवैध कब्जा को रेल प्रशासन ने आरपीएफ व पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर लगाकर शनिवार को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। रेल ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने का नोटिस पहले ही दे रखा था।

नारी समाज का आशीर्वाद और स्नेह भाजपा के साथ –सहजानंद राय

संवाददाता—गोरखपुर। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई थी। नारी समाज के आशीर्वाद से भाजपा ने हरियाणा में इतिहास रचने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का विशेष स्नेह और समर्थन हासिल है। सहजानंद राय शनिवार को क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा के विशेष सदस्यता अभियान को संबोधित कर रहे थे। अभियान में 36 से अधिक महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सभी महिलाओं का मुंह मीठा कर सभी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि देश के जिन राज्यों में भाजपा या राजग गठबंधन की सरकार है, इसकी देन नारी समाज ही है। पार्टी नेतृत्व ने भी सदस्यता अभियान में नारी समाज को अधिक से अधिक संख्या में जोड़कर भाजपा को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया है।

उन्होंने भाजपा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। भाजपा महिला मोर्चा की महानगर मंत्री सुनीता पासवान ने सभी के प्रति आभार जताया। पूर्व महानगर अध्यक्ष व सदस्यता अभियान के सह क्षेत्रीय संयोजक राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉ. बच्चा पांडेय नवीन, छोटेलाल पासवान, सुधाकर यादव, सर्वदीप सिंह सन्नी, कंचन देवी, पूनम देवी, उषा देवी, संजू देवी, उत्तम यदुवंशी समेत अन्य उपस्थित रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5) मूल वाद संख्या 260 सन 2024

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

गिरीश सिंह उर्फ ग्रीस सिंह

बनाम

मनोज कुमार गुप्ता आदि

1– मनोज कुमार गुप्ता उम्र 43 वर्ष पुत्र गंगाराम गुप्ता निवासी ग्राम आमा बाजार, तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर, जनपद बरती 2 – श्रीमती सुमन सिंह उम्र 55 वर्ष पत्नी शिव पूजन सिंह निवासिनी ग्राम उकरहा, तप्पा गौर, परगना बस्ती पश्चिम, तहसील हरैया, जनपद बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

3– राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर बस्ती, जनपद बस्ती 4– लोक निर्माण विभाग बस्ती जनपद बस्ती द्वारा अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जनपद बस्ती 5– अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बस्ती, जनपद बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

6– श्रीमती सुशीला उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी स्वर्गीय शिव नरायन सिंह 7 – कुलदीप उम्र लगभग 21 वर्ष 8 – जगदीप उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय शिव नरायन सिंह 9 – अर्चना उम्र लगभग 23 वर्ष 10– बन्दना उम्र लगभग 22 वर्ष अविवहित पुत्रियां स्व० शिव नरायन सिंह 11 – विजय बहादुर सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष 12– बैजनाथ सिंह उम्र लगभग 54 वर्ष पुत्रगण स्व० अमरजीत सिंह 13. शिवपूजन सिंह उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र दुर्गा सिंह निवासीगण ग्राम उकरहा, तप्पा गौर, परगना बस्ती पश्चिम, तहसील हरैया, जनपद बस्ती

–प्रतिवादीगण तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 22–10–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 10 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

मु0नं0–C2016170000369

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन बस्ती मण्डल बस्ती जिला बस्ती

दीपचन्द्र भारती

बनाम

त्रिपुरारी आदि

1/1 रविशंकर 1/2 सूर्यशंकर 1/3 जयन्तविष्णु पुत्रगण त्रिपुरारी 1/4 श्रीमती वृन्दाभारती पत्नी त्रिपुरारी 2/1 सुनील कुमार भारती 2/2 अजीत कुमार भारती 2/3 आशुतोष कुमार भारती पुत्रगण पूरनवासी 2/4 पुष्पावती पत्नी पूरनवासी 3/1 पवन कुमार 3/2 पंकज कुमार पुत्रगण कृष्णदेव 3/3 श्रीमती कृष्णावती पत्नी कृष्णदेव 4. हुबलाल 5. बालगोविन्द पुत्रगण हरिवंश साकिनान रसूलाबाद तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 12–11–2024

अपील बनराजी अदालत . मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 12 महीना 11 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 19 माह 10 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

एम0ए0सी0पी0 नं0– 83/2021

न्यायालय–श्रीमान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय बस्ती जिला–बस्ती

राजेश्वर सिंह आदि

बनाम

श्रीमती माला यादव आदि

1. श्रीमती माला यादव पत्नी रामकिशुन यादव मो0 P/8/3/27BANDHA KE PASS, VASUDEO GHAT AYODHYA, DISTICK-FAIZABAD

(वाहन स्वामी वाहन सं0 UP-42-T-1057)

तारीख पेशी 22–10–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 10 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

सिविल निगरानी

अदालत– श्रीमान डी0डी0सी0 महोदय बस्ती जिला बस्ती

उर्मिला देवी आदि

बनाम

बजरंगी आदि

1. बजरंगी सिंह पुत्र भगवती सिंह 2. कौशल किशोर सिंह पुत्र भगवती सिंह साकिन कवलपुर तप्पा बेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 28–10–2024

अपील बनराजी अदालत . मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 28 महीना 10 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 18 माह 10 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूलवाद सं0– 153/2023

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

श्रीमती सावित्री देवी आदि

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश आदि

1. सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय बस्ती जिला–बस्ती 2. उप जिलाधिकारी हर्रैया जिला–बस्ती 3. तहसीलदार हर्रैया जिला–बस्ती

तारीख पेशी 13–11–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 11 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

सिविल निगरानी

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मण्डल बस्ती जिला बस्ती

बृजमनदास आदि

बनाम

रामसागर दूबे आदि

1. रामसागर दूबे पुत्र शत्रुध्न दूबे 2. आशा देवी पत्नी रामसागर साकिन महनी तप्पा ऊटापार परगना तहसील नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 03–11–2024

अपील बनराजी आदेश अदालत तह0 नौगढ़ मुकाम सिद्धार्थनगर मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 03 महीना 11 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0 112/2024

भवानीशंकर गौड़–सायल

1 भवानीशंकर गौड उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र पतिराजगौड निवासी हास्पिटल चौराहा कोतवाली रोड तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 15–11–2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925

दरख्वास्त मुसम्मा वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 15–11–2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

सिविल निगरानी

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मण्डल बस्ती जिला बस्ती

अब्दुल कदीर

बनाम

बंशराजी आदि

4/1 गिरधारी मिश्रा 4/2 सुनील मिश्रा 4/3 पुनीत मिश्रा पुत्रगण स्व0 चन्द्रभूषण 4/4 श्रीमती शीला पत्नी स्व0 चन्द्रभूषण साकिन वगहवा तप्पा बंजरहा 10/1 सुहेल अली 10/2 हजरत अली पुत्रगण स्व0 नजीर साकिन मधवापुर 14/1 गुलाम अली 14/2 सहवान अली पुत्रगण स्व0 मुस्तफा साकिन मधवापुर 19/1 शाहिब अली 19/2 रमजान अली पुत्रगण अब्दुल मन्नान साकिन मौजा मधवापुर

तारीख पेशी 05–11–2024

अपील बनराजी आदेश अदालत एस0डी0एम0 मुकाम शोहरगढ़ मयरिखा 14 महीना 02 सन् 2008 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी अब्दुल कादीर ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 05 महीना 11 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 19 माह 10 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0 91/2024

सुरेन्द्र प्रसाद–सायल

1 सुरेन्द्र प्रसाद उम्र लगभग 43 साल पुत्र स्व0 रामस्वरूप साकिन छतौना तप्पा वेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती पोस्ट शंकरपुर (बाघानाला) बस्ती

तारीख पेशी 06–11–2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925

दरख्वास्त मुसम्मा वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 06–11–2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

सिविल निगरानी

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मण्डल बस्ती जिला बस्ती

एहसानुल्लाह

बनाम

भ0प्र0समिति बरगदवा कला आदि

1. नेवास अली 2. अदालत हुसेन 3. सोहराव अली पुत्रगण आशिक अली 4. मजहर हुसेन 5. अजहर हुसेन पुत्रगण साबित अली 6. ताहिर अली 7. तैयब अली 8. ललजाद अली 9. शहजाद अली पुत्रगण हसमुल्लाह 10. बकमुल्लाह पुत्र सरदार अली समस्त साकिनान मौजा मुनाखोर तप्पा बेलहर परगना बांसी पूरव तहसील मेंहदावल जिला संतकबीर नगर

तारीख पेशी 07–11–2024

अपील बनराजी आदेश अदालत उप जिलाधिकारी मेहदावल मुकाम संतकबीरनगर

मयरिखा 29 महीना 11 सन् 2021 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी एहसानुल्लाह ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 07 महीना 11 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 19 माह 10 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूलवाद सं0– 89/2021

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती

श्रीमती सरोज देवी

बनाम

श्रीमती रीता देवी आदि

1.श्रीमती रीता देवी पत्नी राजकुमार साकिन बांसापार तप्पा मथौली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती –प्रतिवादिनी प्रथम वर्ग

2. पलकधारी पुत्र रामजस साकिन बांधापार तप्पा मथौली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 13–11–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 13 माह 11 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

सिविल निगरानी

अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मण्डल बस्ती जिला बस्ती

त्रिलोकी आदि

बनाम

हंसराज आदि

1/3/1 श्रीमती शारदा पत्नी स्व0 ओमप्रकाश 1/3/2 आदित्य वालिग पुत्र स्व ओमप्रकाश 1/3/3 अंकित नावालिग पुत्र स्व ओमप्रकाश साकिनान मौजा खैराटी

तारीख पेशी 22–10–2024

अपील बनराजी आदेश अदालत ए.एस.डी.ओ. मुकाम बस्ती मयरिखा 19 महीना 08 सन् 2011 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी त्रिलोकी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 22 महीना 10 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 19 माह 10 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूलवाद सं0– 588/2021

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला–बस्ती

रामसुभग

बनाम

श्रीमती शकुन्तला देवी आदि

1. श्रीमती शकुन्तला देवी उम्र लगभग 43 वर्ष पत्नी जगई 2. बच्चुलाल उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम निवासीगण मौजा ग्राम पड़री तप्पा कोरऊ परगना महुली पश्चिम पोस्ट पड़री तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग

3. जगई उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम निवासीगण मौजा ग्राम पड़री तप्पा कोरऊ परगना महुली पश्चिम पोस्ट पड़री तहसील व जिला–बस्ती

–प्रतिवादी द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 05–11–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 11 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्ताई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश

(आर्डर 9 कायदा 9) (2)

न्यायालय–श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्ण वाद संख्या 26/2017

मूलवाद सं0 565/2010

भारतीय स्टेट बैंक

बनाम

रामू साहू आदि

1. रामू साहू 2. राजू 3. श्यामू 4. प्रदीप कुमार 5. संदीप कुमार पुत्रणगण स्व0 त्रिलोकीनाथ साहू 6. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 त्रिलोकीनाथ साहू 7. श्रीमती बलजाती पुत्री स्व0 त्रिलोकीनाथ सभी निवासीगण मोहल्ला चिकवा टोला दक्षिण दरवाजा पोस्ट पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती 8. प्रेमचन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी मोहल्ला राजाबाजार पोस्ट पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती 9. सीताराम पुत्र सोमईराम मोहल्ला चाईटोला दक्षिण दरवाजा पुरानी बस्ती पोस्ट पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 13–11–2024

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 13 माह 11 सन 2024 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com